अपील सूचना अधिकार संख्या 26/2021 (GCMS 2021/47) (आरटीआई नं. 212994748071108) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास [illegible] जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर(पोस्ट [illegible] क्रमाक 52एफ–313834) बनाम प्रभारी अधिकारी , श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18.01.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर(उप शासन सचिव, जन अभाव निराकरण विभाग, जयपुर) से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 27.01.2021 से चौबिस बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोकसूचना अधिकारी पर 25000/– रूपये शास्ति अधिरोपित करने, हर्जाना एवं वांछित सूचनाएं उसे उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 27.01.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. पत्रांक प्रार्थी 7722 दिनांक 9.9.2020 आपके कार्यालय में अनवान राधेश्याम गोयल बहनाम प्रभारी रिकॉर्ड शाखा, श्रीगंगानगर पहुंचने की तारीख, क्रमाक की सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।
3. प्रार्थी के पत्रांक पर जिला [illegible] साहब द्वारा जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के [illegible] करने के उपरांत उस पर जो–जो कार्यवाही की गई, उसकी सूचना व की कार्यवाही की सूचना की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.14 15:13:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

4. प्रार्थी के पत्रांक पर जन अभाव अभियोग निराकरण समिति में सुनवाई जिस नियम के अन्तर्गत नहीं की गई उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

5. प्रार्थी का प्रकरण जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के ... सुने जाने के दिनांक व सूचना व आदेश की प्रमाणित प्रति।

6. प्रार्थी का पत्रांक ..... दिनांक 9.9.2020 प्रकरण राधेश्याम गोयल बनाम एम.आर. खन्ना अतिरिक्त रजिस्ट्रार बैंकिंग जयपुर आदि बाबत प्रार्थ के पत्रांक 7573 दिनांक 10.7.2020 पर कार्यवाही न करने बाबत सूचना के कार्यालय में पहुंचने की तारीख व प्राप्ति की दिनांक व क्रमांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।

7. पत्रांक प्रार्थी 7736 दिनांक 14.9.2020 आपके कार्यालय में पहुंचने की क्रमांक पत्र प्राप्ति व दिनांकी सूचना

8. पत्र पर कार्यवाही करने वाले अधिकारी व कर्मचारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।

9. पत्र प्राप्ति से इस सूचना के अधिकार का आवेदन का जवाब देने तक जो जो कार्यवाही की गई उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

11. पत्र में अनवान राधेश्याम गोयल बनाम 1. कैलाश चन्द, डीआईजी पंजीयन [illegible] संगम 2. श्री एम.आर. खन्ना, [illegible] केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., [illegible] एमआर खन्ना, अति. रजिस्ट्रार बैकिंग सहकारी समितियां, सहकार भवन, बाईस गौदार, जयपुर बाबत लजोकसभा चुनाव 2014 में दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.14 15:13:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

6.4.2014 को चुनाव ड्यूटी में कार्यरत होने के उपरांत दिनांक 6.4.2014 को इन दोनों अधिकारीगण ने मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति जारी करने की (सुभाष गोयल बीएलओ को नियम की सूचना व नियम विरूद्ध स्वीकृति जारी करने व सुभाष गोयल द्वारा इस बाबत दो जगह उपस्थिति दिखनें पर इनके द्वारा कार्यवाही करने की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

12. इस विषय पर प्रार्थी का प्रकरण जन अभाव अभियोग निरकरण समिति द्वारा प्रकरण सुनवाई बाबत जिस नियम के अन्तर्गत नहीं सुना गया, उस नियम की सूचना।

13. श्री एमआर खन्ना, एमडी, जीकेएसबी, श्रीगंगानगर द्वारा मुख्यालय छोड़ने का अवकाश जिस चुनाव अधिनियम से दिया गया, उस अधिनियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।

14 इस पत्र 7736 दिनांक 14.9.2020 में की गई, उपरोक्त अधिकारीगण धारा की गयी आज तक की कार्यवाही की सूचना

15. पत्रांक प्रार्थी 7727 दिनांक 14.9.2020 आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख पत्र प्राप्ति का आर/आर नम्बर व दिनांक की सूचना।

16. पत्र पर कार्यवाही करने वाले अधिकारी कर्मचारी का नाम व पद ककी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

17. पत्र में अंकित [illegible] महेन्द्र सिंह, कार्यरत विधि विभाग शाखा में [illegible] श्री गंगानगर केन्द्रीय सहकारीबैंक लिमि० द्वारा [illegible] 2017 से अक्टूबर 2018 तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में परिवार कल्याण समिति एवं बैंक में दोनों जगह कार्य कर वेतन उठाने बाबत।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.14 15:13:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

18 प्रार्थी का प्रकरण जिला जन अभाव अभियोग निराकरण समिति में विभाग के जिस नियम एवं अधिनियम के अन्तर्गत नहीं सुना गया है उस नियम व अधिनियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।

19. प्रकरण प्रार्थी को जन अभाव अभियोग निराकरण समिति में सुने जाने की नियत की गई तारीख की सूचना व आदेश की प्रमाणित प्रति।

20. प्रार्थी का पत्रांक 7728 दिनांक 14.9.2020 आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख पत्र प्राप्ति की क्रमांक व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।

21. पत्र पर कार्यवाही करने वाले अधिकारी व कर्मचारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।

22. प्रार्थी के पत्र प्राप्ति से लेकर इस आरटीआई आवेदन का जवाब देने ते जो जो कार्यवाही की गई, उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।

23. पत्र प्राप्ति से प्रार्थी का प्रकरण जन अभाव अभियोग निराकरण समिति द्वारा न सुना जाने की नियम की सूचना व प्रमाणित प्रतिं

24. प्रार्थी का प्रकरण जन अभाव अभियोग निराकरण समिति में सुने की जाने के दिवस की सूच[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.14 15:13:49 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने 17.03.2021 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 12.02.2021 प्राप्त दिनांक 15.3.21 के संदर्भ में चाही गई इस कार्यालय की सतर्कता शाखा से सम्बन्धित सूचना बासठ पृष्ठ की है जो दो रूपये प्रति पेज की दर से एक सौ चौबीस रू. का पोस्टल ऑर्डर जमा करवा कर प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सूचना की आवश्यकता है तो किसी भी कार्यालय दिवस में उपस्थित होकर पत्रावली का अवलोकन कर सूचना प्राप्त कर सकते है। अन्य विभाग से सम्बन्धित सूचना के लिए उन्हें पृष्ठांकित कर दिया गया है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(भवानी सिंह पंवार)
लोक सूचना अधिकारी
एवं प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

क्रमांक : दिनांक :

1. प्रभारी अधिकारी, सामान्य शाखा, बिन्दु संख्या 8,9,15,20,21 आपकी शाखा से सम्बन्धित है, सूचना प्रार्थी को सीधे ही उपलब्ध करवाते हुए इस शाखा को अवगत कराने हेतु प्रेषित है।

2. एम.डी.के.सह.बैंक.लि. श्रीगंगानगर, डीआईजी, पंजीयन एवं मुद्रांक हनुमानगढ, प्रभारी अधिकारी, रिकॉर्ड शाखा, उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर, कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को बिन्दु संख्या 1, 2, 7, 10, 11,13,14,15,16,17,20,21,22 व अन्य सम्बन्धित बिन्दु की सूचना प्रार्थी को सीधे ही उपलब्ध करवाते हुए [शाखा] को अवगत कराने हेतु प्रेषित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.14 15:13:49 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी
एवं प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, सतर्कता प्रकोष्ठ, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया गया है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है **जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही** है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा **जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी** द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज **करने योग्य है।**

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, सतर्कता प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.14 15:13:49 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर